न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 74/2024

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये श्री अनिल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर		श्री खेताराम पुत्र चौखाराम जाति जाट, निवासी ग्राम कानोड़ तहसील शिव, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वंय अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 18.09.2024 को श्री अनिल कुमार प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर, श्री कंवराराम जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर, एवं श्री भारूराम, नायब तहसीलदार शिव के साथ प्रार्थी स्वंय ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स महादेव हैण्डलूम, कानासर के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान सैल्समेन अप्रार्थी श्री खेताराम उपस्थित मिला। उक्त दुकान मे घरेलु गैस सिलेण्डर व डायरियों का अवैध भण्डारण किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो छः घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उ[illegible] प्रयोग मे लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आई[illegible]) मौके [illegible] गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	471150S	**IOCL**	15.500 Kg	15.500 Kg	0.000 Kg
2.	102828P	**IOCL**	15.400 Kg	14.400 Kg	0.000 Kg
3.	873801J	**IOCL**	15.400 Kg	15.400 Kg	0.000 Kg
4.	390593T	**IOCL**	16.000 Kg	16.000 Kg	0.000 Kg
5.	0022544S	**IOCL**	15.800 Kg	15.800 Kg	0.000 Kg
6.	001481T	**IOCL**	15.600 Kg	15.600 Kg	0.000 Kg

मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु उपयोग के छः गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स भाटिया ग्रामीण वितरक के प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स भाटिया ग्रामीण वितरक को

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 13:22:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना –पत्र के संलग्न मौका जांच रिपोर्ट में जांच स्थल पर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर व डायरियों का अवैध भण्डारण पाया गया था। जब मौके पर कनेक्शन डायरियां पाई गई थी तो फिर उक्त घरेलू सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक उपयोग किस प्रकार किया जा रहा था ? स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है लिहाजा उक्त सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग होना साबित नहीं होता है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा प्रकरण में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन होना प्रकट किया हैं जबकि इस आशय का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने का भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित होने एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के अभाव में सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर को सूचनार्थ एवं पालना हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 13:22:42 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)